

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-49/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मल्लिका सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना के द्वारा उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक-07.04.2026 से 05.06.2026 तक कुल-60 (साठ) दिन को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-905(25), दिनांक-28.04.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।


2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-49/2026- 1000(2) पटना, दिनांक 14/05 /2026

- प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: उपाधीक्षक, गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मल्लिका सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।